

प्रेस नोट दिनांक 13.09.2025 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दि०-13.09.2025

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी-
गैर इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्र के ढकवा से महडौरा लिंक रोड से गिरफ्तार
किया गया।
अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 10.09.2025 को आरोपी की लड़की की ट्यूबेल पर मृत्यु हो जाने के प्रकरण में वादी की तहरीर के
आधार पर थाना आसपुर देवसरा में पर मु०अ०सं० 267/25 धारा 103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत
किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा
रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री
मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के थानाध्यक्ष विजेन्द्र सिंह मय हमराह उ०नि०
हरीन्द नारायण राय, हे० का० भानू प्रताप सिंह, का० सर्वेश पाण्डेय, चालक का० सुनील सिंह द्वारा
विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु०अ०सं०
267/25 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त शेखर निर्मल पुत्र स्व० पारसनाथ निर्मल निवासी
ग्राम इब्राहिमपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के ढकवा से महडौरा लिंक रोड से
गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एम०वी० एक्ट में सीज किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 105(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शेखर निर्मल पुत्र स्व० पारसनाथ निर्मल निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद
प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष विजेन्द्र सिंह मय हमराह उ०नि० हरीन्द नारायण राय, हे० का० भानू प्रताप सिंह, का० सर्वेश
पाण्डेय, चालक का० सुनील सिंह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि०-13.09.2025

थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना फतनपुर पुलिस लूट के अभियोग से संबंधित अन्तर्जनपदीय 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत पकड़ी मोड़ के पास गिरफ्तार किया गया

अभियुक्तों के कब्जे से 01 एक अदद तमंचा .315 बोर, 02 दो अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर, लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस व लूट के पैसे से खरीदी गयी 01 अदद मोबाइल व लूट के 2000/- रुपये बरामद किया गया-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त समीर पुत्र इमाम अली पर लूट, चोरी, अपहरण, मारपीट के गंभीर अपराध, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत है।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा पूर्व में इनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

प्रतापगढ़

वादी निवासी ग्राम जयरामपुर, पोस्ट दुर्गागंज, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना फतनपुर पर तहरीर दी गई थी कि थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 02.09.2025 को रात्रि 02 मोटरसाइकिलों से आए 04 अज्ञात व्यक्तियों ने वादी के इण्डियन ऑयल पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुसकर वहाँ भोजन बना रहे कर्मचारियों से मारपीट करते हुए कर्मचारी त्रिभुवन के पास से 25,000/- रुपये की नगदी छीन ली तथा बाहर तेल भरवा रहे ग्राहकों से भी मारपीट कर भाग गए। इस संबंध में थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 192/2025, धारा 309(4) भा0न्या0सं0 बनाम दो मोटरसाइकिलों से आए 04 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 13.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्वेक्षण में थाना फतनपुर थानाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह कां0 रामनिवास, कां0 ओमप्रकाश व कां0 सुनील यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर के मु0अ0सं0- 192/2025 धारा - 309 (4) BNS से संबंधित 02 अभियुक्तों 1-अनर्जनपदीय समीर पुत्र मो० इमाम अली उम्र करीब 24 वर्ष नि०ग्राम सिकन्दरा तुलापुर थाना बहरिया जनपद प्रयागराज, 2- .भोला उर्फ उज्जवल उर्फ भांटा तेली पुत्र अरविन्द गुप्ता उम्र 18 वर्ष नि०ग्राम सिकन्दा थाना बहरिया जनपद प्रयागराज को 01 एक अदद तमंचा .315 बोर, 02 दो अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर, लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस व लूट के पैसे से खरीदी गयी 01 अदद मोबाइल व लूट के 2000/- रुपये के साथ थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत पकड़ी मोड़ के पास गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 एक अदद तमंचा .315 बोर, 02 दो अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर, लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस व लूट के पैसे से खरीदी गयी 01 अदद मोबाइल व लूट के 2000/- रुपये बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) BNS व 3/25 Arms Act. की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/आपराधिक इतिहास-

1-अन्तर्जनपदीय समीर पुत्र इमाम अली निवासी सिकंदरा तुलापुर थाना बहरिया जनपद प्रयागराज ।

1.मु0अ0स0- 197/2023 धारा 147/148/149/34/307/504 भादवि व 3(1)द /3(ध)/3(2) va sc/st एक्ट थाना बहरिया जनपद गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज

2.मु0अ0स0 192/2025 धारा 392(4)/317(2) bns व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ़तनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2- भोला उर्फ उज्जवल उर्फ भांटा तेली पुत्र अरविन्द गुप्ता उम्र 18 वर्ष नि0ग्राम सिकन्दा थाना बहरिया जनपद प्रयागराज ।

1.मु0अ0स0 192/2025 धारा 392(4)/317(2) bns व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ़तनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह कां0 रामनिवास, कां0 ओमप्रकाश व कां0 सुनील यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-13.09.2025

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर के उ0नि0 सत्यम तिवारी मय हमराह हे0 का0 बहाबुद्दीन द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, एनबीडब्लू से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त 1.बाबूलाल पुत्र सोमन निवासी पण्डित का पुरवा मजरे उमरार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.बाबूलाल पुत्र सोमन निवासी पण्डित का पुरवा मजरे उमरार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सत्यम तिवारी मय हमराह हे0 का0 बहाबुद्दीन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 13.09.2025

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में एसओजी व थाना पट्टी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

थाना पट्टी पर पंजीकृत मुकदमें की धारा 3(5), 70(1), 351(3) बीएनएस व एससी/एसटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जिला न्यायालय गेट नं0 03 के सामने से दबिश देकर 25 हजार का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित

थाना पट्टी पुलिस की तत्परता से फरार इनामी अपराधी की गिरफ्तारी

थाना पट्टी पुलिस द्वारा पूर्व में इनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.09.2025 को आवेदिका निवासिनी थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत द्वारा थाना पट्टी पर सूचना दी गई कि उसको उसकी सहेली द्वारा पैसे देने के बहाने बुलाया गया, जहां पर आवेदिका के साथ 01. अमन तिवारी पुत्र पवन तिवारी निवासी ग्राम उपाध्यापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ 02. वीरेन्द्र यादव पुत्र रतीपाल यादव निवासी ग्राम उपाध्यापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ 03. विकास वर्मा पुत्र ब्रह्मदीन वर्मा निवासी ग्राम पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जबरन गलत कार्य किया गया। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर धारा 3(5), 70(1), 351(3) बीएनएस व 3(1) (द), 3 (1)(ध), 3(2)(5), 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वक्षण में दिनांक 13.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिंह सिरौही के नेतृत्व में उ०नि० अनिश कुमार यादव मय हमराह म०उ०नि० अर्चना, हे०का० यशवन्त सिंह राठौर, का० संजय चौहान व का० अभिषेक यादव चालक हे०का० राजेश सिंह ने थाना पट्टी पर पंजीकृत मुकदमें की धारा 3(5), 70(1), 351(3) बीएनएस व 3(1) (द), 3 (1)(ध), 3(2)(5), 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 25 हजार रुपये का इनामिया 01 अभियुक्त 1. विकाश वर्मा पुत्र ब्रह्मदीन वर्मा निवासी ग्राम उपाध्यायपुर थाना पट्टी प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जिला न्यायालय गेट नं0 03 के सामने से गिरफ्तार किया गया।

-थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.09.2025 को मुखबिर की सूचना के क्रम में वाँछित 25 हजार रुपये के 01 इनामियां अभियुक्त विकाश वर्मा पुत्र ब्रह्मदीन वर्मा निवासी ग्राम उपाध्यायपुर थाना पट्टी प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जिला न्यायालय गेट नं0 03 के सामने से गिरफ्तार किया गया।

-पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय डॉ० अनिल कुमार द्वारा मुकदमें से सम्बन्धित सभी अभियुक्तों 01. अमन तिवारी पुत्र पवन तिवारी निवासी ग्राम उपाध्यापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ 02. वीरेन्द्र यादव पुत्र रतीपाल यादव निवासी ग्राम उपाध्यापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ 03. विकास वर्मा पुत्र ब्रह्मदीन वर्मा निवासी ग्राम पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

विकाश वर्मा पुत्र ब्रह्मदीन वर्मा निवासी ग्राम उपाध्यायपुर थाना पट्टी प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

-उ०नि० अनिश कुमार यादव मय हमराह म०उ०नि० अर्चना, हे०का० यशवन्त सिंह राठौर, का० संजय चौहान व का० अभिषेक यादव चालक हे०का० राजेश सिंह थाना पट्टी प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 13.09.2025

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

एसपी द्वारा चेकिंग के दिये गये हैं सख्त निर्देश

थाना लालगंज पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सराय भागमानी बड़ी, नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के पास चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल टीवीएस सिटी स्टार रंग काला बरामद किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी लालगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ०नि० सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का० राहुल यादव व का० संतोष यादव द्वारा दिनांक 13.09.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त मो० शहजाद पुत्र शेर अली निवासी ग्राम बुड़वा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज उम्र 21 वर्ष को थानाक्षेत्र लालगंज के ग्राम सराय भागमानी बड़ी, नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मो० शहजाद पुत्र शेर अली के पास से चोरी की 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल टीवीएस सिटी स्टार रंग काला बरामद किया गया। बरामदगी/गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लालगंज में मु०अ०सं० 348/2025 धारा 317 (2)/318 (4)/336 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो० शहजाद पुत्र शेर अली निवासी ग्राम बुड़वा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज उम्र 21 वर्ष।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है जिसे मैंने चार दिन पहले जाहिदपुर जीनियस कम्प्यूटर वाली गली से चुराया था। और मैंने इस मोटरसाइकिल की पहचान छुपाने व पुलिस से

पकड़े जाने से बचने के लिए इसके नम्बर प्लेट के कुछ नम्बरो को खुरच दी है, इसका बास्तविक रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी 70 डीआर 6469 है। बरामद मोटरसाइकिल का निरीक्षण किया गया तो मोटरसाइकिल टीवीएस सिटी स्टार, सामने का हेडलाईट टूटी हुयी व रंग काला, जिसके नम्बर प्लेट पर यूपी 70 6169 अंकित है,

बरामदगी-

01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल टीवीएस सिटी स्टार रंग काला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह कां0 राहुल यादव व का0 संतोष यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़